बिहार सरकार,
कृषि विभाग

अधिसूचना

संख्या–6/स्था0 नियुक्ति–6/2010........118........../ पटना, दिनांक–09/2/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल कृषि विभाग के अधीन बिहार कृषि प्रक्षेत्र के क्षेत्र सहायकों के सेवा/संवर्ग में अराजपत्रित पदों की भर्ती एवं सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।**– (i) यह नियमावली बिहार कृषि प्रक्षेत्र 'क्षेत्र सहायक' नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषा।**– इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(1) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;
(2) "विभाग" से अभिप्रेत है, कृषि विभाग, बिहार;
(3) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है, कृषि निदेशक, बिहार;
(4) "निदेशक" से अभिप्रेत है, कृषि निदेशक, बिहार;
(5) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार कृषि प्रक्षेत्र के क्षेत्र सहायक संवर्ग;
(6) "अपील प्राधिकार" से अभिप्रेत है, प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग बिहार ;
(7) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, कृषि निदेशक, बिहार ;
(8) "कोटि" से अभिप्रेत है, नियम 3 में विनिर्दिष्ट कोटि;
(9) "समकक्ष पद' से अभिप्रेत है, प्रक्षेत्र प्रबंधक का समकक्ष पद कृषि निरीक्षक का पद;
(10) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग; तथा
(11) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है, नियमावली प्रभावी होने की तिथि ;

3. <u>संवर्ग का गठन एवं पद सोपान।</u>–

(1) बिहार कृषि प्रक्षेत्र के क्षेत्र सहायक संवर्ग की संरचना तथा नियुक्ति प्राधिकार निम्नानुसार होगी :–

क्र०सं०	कोटि का नाम	स्तर	पद समूह	नियुक्ति प्राधिकार
(क)	क्षेत्र सहायक	मूल कोटि	'ग'	कृषि निदेशक, बिहार;
(ख)	प्रक्षेत्र सहायक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	'ग'	तदैव
(ग)	प्रक्षेत्र प्रबंधक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	'ख'	तदैव

(2) संवर्गीय पद का वेतन संरचना वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चितकी जाय।

(3) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटि में नियुक्त/प्रतिनियुक्त के आधारपर समायोजित कार्यरत व्यक्ति इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

(4) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

4. **संवर्ग बल**।:– संवर्ग बल के प्रत्येक कोटि कें पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी संवर्ग नियमावली, 2017 के प्रभावी की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/अवधारित की गई हो तथा उसके बाद की तिथियों से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत अथवा अवधारित की जाय।

5. **नियुक्ति** ।– क्षेत्र सहायक संवर्ग में सीधी भर्ती से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर आयोजित सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। प्रशासी विभाग प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की गणना कर अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करायेगा। आयोग द्वारा आरक्षण कोटिवार मेधा सूची के आधार पर चयनित सफल उम्मीदवारों की अनुशंसित सूची विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा आयोग की अनुशंसित कोटिवार मेधा सूची में से नियुक्ति की जायेगी।

6. **शैक्षणिक योग्यता** :–

(1) इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आई0एस0सी0/कृषि डिप्लोमा होगी।

(2) **उम्र सीमा**:– उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा आयोग द्वारा विज्ञापन निर्गत किये जाने वाले वर्ष के 1ली अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी तथा अधिकतम उम्र–सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित की जाय।

7. **परिवीक्षा (प्रोबेशन)** ।–

क्षेत्र सहायकों को योगदान (नियुक्ति) की तिथि से परिवीक्षाधीन घोषित किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की की होगी। परीवीक्षा अवधि में सेवा, कार्यकलाप संतोषजनक पूरा करना तथा विभागीय दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करना आवश्यक होगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा तथा उनके विरूद्ध गंभीर आरोप रहने पर उसे सेवा से हटाया जा सकेगा।

8. **सम्पुष्टि**।–

परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को अपेक्षित संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने तथा विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रशासी विभाग द्वारा सेवा सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

9. **वरीयता** ।–

(1) नियत तिथि से पूर्व किसी कोटि में नियुक्त सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता तिथि से पूर्व यथा अवधारित उनकी पारस्परिक वरीयता के अनुसार विनिश्चित की जायेगी। परन्तु यदि सेवा के ऐसे किसी सदस्य या सदस्यों की वरीयता उस तिथि के पूर्व विशिष्टतः अवधारित नहीं की गई है तो उसकी वरीयता का अवधारण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(2) किसी कोटि में स्वतः सम्मिलित सभी कर्मी, उन सभी कर्मियों से वरीय होंगे जिनकी उस कोटि में नियुक्ति नियत तिथि के बाद की किसी तिथि से हुई हों।

(3) आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त क्षेत्र सहायकों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रम के अनुसार होगी। संवर्ग के प्रत्येक कोटि की वरीयता सूची अलग–अलग संधारित की जायेगी।

10. संवर्ग में **प्रोन्नति हेतु सेवा सम्पुष्ट होना आवश्यक होगा।**

11. **विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम।**– सीधे नियुक्त क्षेत्र सहायकों को नियुक्ति के पश्चात् प्रोन्नति के निमित्त विभागीय परीक्षा के विषय निम्न प्रकार होंगेः–

क्र० सं०	विषय	पूर्णांक	उत्तीर्णांक	समय
1	निम्न लेखा	100	60	3 घंटे
2	उच्च लेखा (पुस्तक रहित)– प्रथम पत्र	100	60	3 घंटे
3	उच्च लेखा (पुस्तक सहित)– प्रथम पत्र	100	60	3 घंटे
4	बिहार सेवा संहिता (पुस्तक रहित)– (i) Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005) and Rules made there under (As ammended from time to time) (ii) Bihar Right to Public Service Act, 2011 and Rules made there under (As ammended from time to time) (iii) Bihar Govrnment Servent Conduct Rules 1976 (As ammended from time to time) (iv) Bihar Right to Public Grivances Act, 2015 and Rules made there under (As ammended from time to time)	100	60	1.5 घंटे

12. **कालावधि ।**–प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा।

13. **विभागीय प्रोन्नति समिति** :– संवर्ग में प्रोन्नति, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी। प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

14. **प्रोन्नति ।**–

(1) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सभी प्रोन्नत पद शत प्रतिशत प्रोन्नति से भरे जायेंगे।

(2) **प्रोन्नति के लिए चयन का मानदण्डः**– संवर्ग में प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का मानदण्ड वरीयता–सह–योग्यता का सिद्धान्त होगा।

15. **संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण।**–

(1) इस संवर्ग के सभी कोटि के पदों का प्रशासी विभाग कृषि विभाग, बिहार होगा, जो संवर्ग के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(2) परिचालनात्मक नियंत्रण (ऑपरेशनल कंट्रोल):–इस सेवा/संवर्ग के सदस्य जिस अनुमंडल/जिला/प्रमंडल में पदस्थापित रहेंगे, उस अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) के परिचालनात्मक नियंत्रण में रहेंगे।

(3) संवर्ग के सभी कोटि के सदस्यों का मुख्यालय कृषि विभाग होगा।

(4) संवर्ग में नये पदों के सृजन, चयन एवं कर्मियों की सेवा सम्पुष्टि, सभी पदो के प्रोन्नति/नियुक्ति/स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति आदि से संबंधित मामले विभाग के स्तर से संधारित होंगे।

16. **अनुशासनिक कार्रवाई।**— इस संवर्ग के सभी सदस्य बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन शासित होगे।

17. **नियमों का शिथिलीकरण।**— यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों की किसी कोटि के सेवा शर्तों से संबंधित किसी नियम को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है तो सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, वह, आदेश द्वारा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो दूर कर सकेगी।

18. **आरक्षण।**–राज्य में प्रवृत्त आरक्षण अधिनियम एवं तत्संबंधी अन्य प्रावधान तथा समय–समय पर सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

19. **प्रकीर्ण विषय।**–इस नियमावली या इसके अधीन जारी किये गये आदेशों से अनाच्छादित मामलो के संदर्भ में इस सेवा के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिको के संबंध में लागू संहिताये/नियमावली/संकल्प/अनुदेश द्वारा शासित होगें।

20. **निर्वचन।**— इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध मे शंका उत्पन्न होने पर विषय विभाग को निर्देशित (Refer) किया जायेगा और इस संबंध में विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **विनियमावली बनाने की शक्ति।**— इस नियमावली में विहित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विनियमावली बनायी जा सकेगी।

22. **निरसन एवं व्यावृति।**— (i) इस सेवा/संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/निमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते है।

(ii) ऐसा निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।
(हस्ताक्षर) 7.2.2017
(सुधीर कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप संख्या–6/स्था0 नियुक्ति–6/2010......118....../ पटना, दिनांक–....09/02/2017

प्रतिलिपि :– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध हैं कि संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को अतिशीध्र भेजने का कष्ट करें ।

(हस्ताक्षर) 7.2.2017
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप संख्या–6 / स्था0 नियुक्ति–6 / 2010......118....../ पटना, दिनांक–....09 / 02 / 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना / राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, कृषि के प्रधान आप्त सचिव / मुख्य सचिव के आप्त सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / सभी जिला पदाधिकारी / कृषि निदेशक, बिहार / अपर कृषि निदेशक (प्रसार) / निदेशक, उद्यान / निदेशक,भूमि सरंक्षण / निदेशक, पी0पी0एम0 / संयुक्त निदेशक (शष्य) मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक मिट्टी रसायनज्ञ / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 7.2.2017

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप संख्या–6 / स्था0 नियुक्ति–6 / 2010......118....../ पटना, दिनांक–....09 / 02 / 2017

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 7.2.2017

सरकार के प्रधान सचिव ।